संयुक्त राष्ट्र की सार्थकता के 60 रास्ते

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना एक विनाशकारी युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता लाने और शांति को अधिक सुरक्षित बुनियाद देने में सहायता के लिए किया गया था।

परमाणु युद्ध की आशंका और अनन्त क्षेत्रीय संघर्षों के वर्तमान माहौल में शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र की मुख्य चिंता बन गई है और नीले हेल्मेट वाले शांतिस्थापकों की गतिविधियाँ सबसे अधिक दिखाई देने वाली गतिविधियों में शामिल है।

किंतु संयुक्त राष्ट्र सिर्फ शांतिस्थापक और संघर्षों के समाधान का मंच नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और उसके परिवार से जुड़ी एजेंसियाँ दुनिया भर में लोगों का जीवन स्तर सुधारने के ऐसे अनेक प्रयास कर रही हैं, जो अकसर लोगों के सामने नहीं आते।

बाल जीवन रक्षा और विकास। पर्यावरण संरक्षण। मानव अधिकार। स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान। गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास। कृषि विकास और मत्स्य पालन। शिक्षा। महिलाओं का उन्नयन। आपात और आपदा राहत। वायु और समुद्री यात्रा। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। श्रम और श्रमिक अधिकार। यह सूची बहुत लंबी है।

यहाँ संक्षिप्त में यह जानकारी दी जा रही है कि 1945 में अपनी स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र और उसके विभिन्न अंगों ने क्या कुछ उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

1. विकास को बढ़ावा

संयुक्त राष्ट्र ने अपना ध्यान और संसाधन पूरी दुनिया में रहन–सहन के स्तरों और मानवीय कौशल तथा प्रतिभा को सुधारने के लिए समर्पित किए हैं। सन् 2000 से इस कार्य का संचालन सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के निर्देशन में हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का वार्षिक विकास खर्च 10 अरब डॉलर से अधिक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का व्यय शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 166 देशों में अपने कर्मचारियों की मदद से विकासशील देशों में घनघोर गरीबी के उन्मूलन और सुशासन को बढ़ावा देने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का संचालन करता है। युनिसेफ 157 देशों में कार्यरत है और हर वर्ष मूल रूप से बाल संरक्षण, टीकाकरण, एचआईवी/एड्स से संघर्ष तथा लड़कियों की शिक्षा पर 1.2 अरब डॉलर से अधिक की राशि खर्च करता है। अंकटाड सदस्य देशों को अपनी व्यापार सँभावनाओं का अधिक–से– अधिक उपयोग विकास के उद्धेश्यों को पूरा करने में मदद देता है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक विकासशील देशों को प्रति वर्ष 18 से 20 अरब डॉलर के आसपास का कुल ऋण और अनुदान देता है। उसने 1947 से 9,500 से अधिक विकास परियोजनाओं को मदद दी है। यह सभी धन और विकास सहायता सदस्य राष्ट्रों के अंशदान से आती है।

2. लोकतंत्र को बढ़ावा देना

संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थाओं और तौर–तरीकों को मज़बूत करने और उनके प्रसार में मदद दी है। इसने अनेक देशों में नागरिकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में भागीदारी का अवसर दिलाया है। इन देशों में कम्बोडिया, नामीबिया, अल सल्वाडोर, इरिट्रिया, मोजाम्बिक, निकारागुआ, दक्षिण अफ्रीका, कोसोवो और पूर्वी तिमोर शामिल हैं। इसने 90 से अधिक देशों को चुनाव कार्य में, परिणामों की निगरानी सहित सलाह और सहायता प्रदान की है। इनमें से

अफगानिस्तान, इराक और बुरूंडी जैसे देशों को उनके इतिहास के निर्णायक क्षणों में ये सहायता दी गई है।

3. मानव अधिकारों को बढ़ावा देना

महासभा ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम उद्घोषणा का अनुमोदन किया था। उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र ने राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के बारे में दर्जनों व्यापक समझौते लागू कराए हैं। अलग–अलग शिकायतों की जाँच करके संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संस्थाओं ने यातना, लोगों के गायब होने और मनमाने ढंग से हिरासत में रखे जाने के मामलों की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा है और सरकारों को अपने यहाँ मानव अधिकारों की स्थिति सुधारने पर बाध्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव पैदा किया है।

4. शांति और सुरक्षा बनाए रखना

सन् 2005 तक दुनिया के संकटग्रस्त क्षेत्रों में कुल 60 शांति स्थापना और प्रेक्षक मिशन भेज कर संयुक्त राष्ट्र ने इतनी शांति स्थापित करने में सफलता हासिल कर ली कि आगे बढ़ने की प्रक्रिया पर बातचीत हो सके और लाखों लोगों को युद्ध का शिकार होने से बचाया जा सके। इस समय दुनिया भर में 16 शांति स्थापना अभियान चल रहे हैं।

5. शांति स्थापित कराना

1945 से संयुक्त राष्ट्र ने क्षेत्रीय संघर्ष समाप्त कराने के लिए 170 से अधिक शांति समझौते कराए हैं। इनमें ईरान–इराक युद्ध की समाप्ति, अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी और अल सल्वाडोर तथा ग्वाटेमाला में गृह युद्धों की समाप्ति से संबद्ध समझौते शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने युद्धों की आशंकाएँ टालने के लिए गुप्त राजनय का सहारा लिया है।

6. पर्यावरण का संरक्षण करना

संयुक्त राष्ट्र विश्वव्यापी पर्यावरण समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्नशील है। आम सहमति तैयार करने और समझौते कराने के अंतर्राष्ट्रीय मंच के नाते संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत के क्षय, जहरीले कचरे, वनों और जीव प्रजातियों के क्षय तथा वायु और जल प्रदूषण जैसी विश्वव्यापी समस्याओं से निपट रहा है। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक बाजारों और अर्थव्यवस्थाओं को दीर्घकाल तक स्थायित्व देना सँभव नहीं है, क्योंकि पर्यावरण के विनाश से उस प्राकृतिक पूँजी का क्षय होता है, जिस पर वृद्धि और मानव का जीवन टिके हैं।

7. परमाणु शस्त्र प्रसार रोकना

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जरिए यह सुनिश्चित करता है कि परमाणु टैक्नॉलॉजी का इस्तेमाल करने वाले देश गुप्त रूप से परमाणु हथियारों का विकास न करें। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 70 से अधिक देशों में सैकड़ों परमाणु प्रतिष्ठानों की निगरानी करती है। अब तक 152 राष्ट्रों के साथ 237 निगरानी समझौते किए गए हैं।

8. आत्म निर्णय और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना

1945 में संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय दुनिया की करीब एक–तिहाई आबादी यानी 75 करोड़ लोग औपनिवेशिक शक्तियों पर निर्भर गैर स्वशासी क्षेत्रों में निवास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 80 से अधिक देशों को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जो अब प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र है।

9. युद्ध अपराधियों को सजा दिलाना

पूर्व युगोस्लाविया और रवांडा के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र ट्राइब्युनलों ने युद्ध अपराधियों को सजा दी है, उन्हें कैद में डाला है, नरसंहार और मानव अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण कानून बनवाए हैं और न्याय का ऐसा साधन प्रदान किया है, जिसे प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने बहुत गंभीरता से अपनाया है।

10. दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त कराना

शस्त्र प्रतिबंध से लेकर नस्लभेदी खेल आयोजनों विरोधी समझौतों तक विभिन्न उपायों को लागू करके रंगभेदी व्यवस्था समाप्त कराने में संयुक्त राष्ट्र ने अहम भूमिका निभाई है। दक्षिण अफ्रीका में 1994 में हुए आम चुनाव में सभी देशवासियों को बराबरी के आधार पर हिस्सा लेने का मौका मिला और वहाँ बहुनस्ली सरकार की स्थापना हुई।

11. अंतर्राष्ट्रीय कानून को मज़बूती देना

संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से 500 से अधिक बहुपक्षीय संधियाँ की गई हैं, जो मानव अधिकारों, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, शरणार्थी, निरस्त्रीकरण, वस्तुओं और समुद्रों से जुड़ी हुई हैं।

12. शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करना

युद्ध, अकाल या मारकाट से भाग रहे 5 करोड़ से अधिक शरणार्थियों को 1951 के बाद से संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त से मदद मिली है। इस सतत् प्रयास में अकसर अन्य एजेंसियाँ भी हिस्सा लेती हैं। ये संगठन परिस्थितियों के अनुसार शरणार्थियों को उनके देश वापस भेजने में मदद देकर, या उन्हें शरण देने वाले देशों में बसने में मदद देकर, या तीसरे देशों में दोबारा बसा कर दीर्घकालिक या टिकाऊ समाधान तलाश करता है। 1 करोड़ 19 लाख से अधिक शरणार्थी, शरण माँगने वाले या आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र से भोजन, आवास, चिकित्सा सहायता, शिक्षा और मुआवजा सहायता प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें अधिकाँश महिलाएँ और बच्चे हैं।

13. विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करना

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) ने अकसर बहुत छोटी मात्रा में ऋण देने की व्यवस्था विकसित की है, जिससे गाँवों के गरीब लोग गरीबी से छुटकारा पा सकें। 1978 में अपनी गतिविधियाँ शुरू करने के बाद से आईएफएडी ने 676 परियोजनाओं और कार्यक्रमों में 8.5 अरब डॉलर का निवेश किया है, जिनसे 25 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हो रहा है। आईएफएडी के लिए सारा धन सदस्य देशों के ऐच्छिक अंशदान से आता है।

14. फलस्तीनी शरणार्थियों की सहायता करना

विश्व समुदाय इस्रायल और फलस्तीन के बीच स्थाई शांति स्थापित कराने के लिए प्रयत्नशील है। इस बीच एक राहत और मानव विकास एजेंसी–युनाइटेड नेशन्स रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट (यूएनआरडब्ल्यूए) चार पीढ़ियों से फलस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवाएँ, छोटे ऋण और आपात सहायता प्रदान कर रही है। आज मध्य–पूर्व में 40 लाख से अधिक शरणार्थी यूएनआरडब्ल्यूए के पास पंजीकृत हैं।

15. अफ्रीका के विकास पर ध्यान देना

अफ्रीका को आज भी संयुक्त राष्ट्र बहुत अधिक प्राथमिकता दे रहा है। 1986 में संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका के आर्थिक पुनर्रुत्थान और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए विशेष सत्र आयोजित किया था। सन् 2001 में अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों ने महाद्वीप की अपनी योजना का अनुमोदन किया था, जिसका नाम था–न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज़ डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन् 2002 में इसे अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन देने के मुख्य ढाँचे के रूप में मान्यता दे दी थी। विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के कुल व्यय का 33 प्रतिशत हिस्सा इस महाद्वीप को जाता है, जो किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे अधिक है। संयुक्त राष्ट्र की सभी एजेंसियों ने अफ्रीका के लाभ के लिए विशेष कार्यक्रम चला रखे हैं।

16. महिला कल्याण को बढ़ावा देना

संयुक्त राष्ट्र ने महिला समानता और कल्याण को बढ़ावा देने में मदद की है। संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष (युनिफैम) और अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्नयन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान (इन्स्ट्रॉ) ने 100 से अधिक देशों में महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने तथा महिला अधिकारों को बढ़ावा देने में मदद की है। इन्स्ट्रॉ अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियाँ चलाता है तथा युनिफैम महिलाओं के प्रति हिंसा समाप्त कराने, एचआईवी/एड्स के प्रसार का रुख पलटने और महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा दिलाने वाली परियोजनाओं को समर्थन देता है। इसके प्रयासों में महिलाओं के लिए काम के अवसर बढ़ाना और उन्हें भूमि तथा विरासत की सम्पत्ति का अधिकार दिलाना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की सभी एजेंसियों के लिए महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना अनिवार्य है।

17. महिला अधिकारों को बढ़ावा देना

संयुक्त राष्ट्र का एक दीर्घकालिक उद्धेश्य महिलाओं का जीवन स्तर सुधारना और उन्हें सशक्त बनाना है ताकि उनका अपने जीवन पर नियंत्रण बढ़ सके। संयुक्त राष्ट्र ने प्रथम विश्व महिला सम्मेलन 1975 में मैक्सिको सिटी में आयोजित किया था, जिसने संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के दौरान अन्य सम्मेलनों के साथ मिलकर महिला अधिकारों को आगे बढ़ाने का एजेंडा तय किया। 1979 में महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव उन्मूलन से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौते का अनुमोदन 180 देशों ने कर दिया है। इस समझौते ने दुनिया भर में महिला अधिकारों के दायरे को बढ़ाने में मदद की।

18. सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना

संयुक्त राष्ट्र के प्रथम जल दशक (1981–1999) के दौरान एक अरब से अधिक लोगों को अपने जीवन में पहली बार सुरक्षित पेयजल सुलभ हुआ। 1990 और 2002 के बीच 1.1 अरब अन्य लोगों

को सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुलभ कराई गई। 2003 में अंतर्राष्ट्रीय ताजा जल वर्ष के दौरान इस कीमती संसाधन के संरक्षण के महत्व के प्रति जागरुकता बढ़ाई गई। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जल दशक (2005–2015) का उद्धेश्य सुरक्षित पेयजल की सुलभता से वंचित जनसंख्या का अनुपात 50 प्रतिशत कम करना है।

19. पोलियो का उन्मूलन करना

विश्वव्यापी पोलियो उन्मूलन अभियान के जरिए सिर्फ छह देशों–अफगानिस्तान, मिस्र, नाइजर, नाइजीरिया और पाकिस्तान–को छोड़कर सभी देशों से पोलियोमाइलाइटिस का सफाया कर दिया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य संरक्षण अभियान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल और यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेन्शन द्वारा संचालित इस अभियान के फलस्वरूप करीब 50 लाख ऐसे बच्चे अपने पैरों पर चल रहे हैं, जो पोलियो के कारण अपंग हो सकते थे। दुनिया भर में 125 देशों में बच्चों को अपंग करने वाले इस रोग का पूरी तरह सफाया होने ही वाला है।

20. एचआईवी/एड्स का मुकाबला करना

एचआईवी/एड्स के बारे में संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त कार्यक्रम (यूएनएड्स) करीब 4 करोड़ लोगों को डस रही इस महामारी के खिलाफ विश्वव्यापी कार्रवाई में समन्वय कर रहा है। यह कार्यक्रम 130 से अधिक देशों में एचआईवी रोकथाम और उपचार सेवाएँ सबको सुलभ कराने के साथ–साथ व्यक्तियों और समुदायों के इसके शिकार होने की सँभावना कम करने और महामारी का प्रभाव कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। यूएनएड्स संयुक्त राष्ट्र के 10 सहप्रायोजक संगठनों की विशेषज्ञता को एकजुट करता है।

21. चेचक का सफाया करना

विश्व स्वास्थ्य संगठन के 13 वर्ष के प्रयासों के फलस्वरूप 1980 में धरती से चेचक का नामो निशान मिट गया। इसके परिणामस्वरूप हर वर्ष टीकाकरण और निगरानी पर खर्च होने वाली करीब एक अरब डॉलर की रकम बचने लगी, जो इस महामारी के उन्मूलन पर आई लागत से लगभग तीन गुणा है।

22. परजीवी रोगों का मुकाबला

11 पश्चिमी अफ्रीकी देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक कार्यक्रम के माध्यम से नदी अंधता (ऑन्कोसिरसियासिस) का लगभग पूरी तरह सफाया करने, 1.1 करोड़ बच्चों में अंधता रोकने और 2.5 करोड़ हेक्टेयर उपजाऊ भूमि खेती के लिए उपलब्ध कराने में सफलता मिली। 1991 में उत्तर अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रयासों के फलस्वरूप इंसानों और पशुओं के गोश्त पर पलने वाले एक कीड़े स्क्रीवर्म का सफाया करने में सफलता मिली। अन्य कार्यक्रमों ने बड़ी संख्या में लोगों को गिनीवर्म और अन्य उष्णकटिबंधीय रोगों से बचाया है।

23. महामारियों का प्रसार रोकना

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने श्वांस के गंभीर संक्रमण (सार्स यानी सीवीयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम) का प्रसार रोकने में मदद की और हजारों लोगों की जान बचाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की

विश्वव्यापी चेतावनी और मार्च, 2003 में जारी आपात यात्रा चेतावनी के फलस्वरूप सार्स के शिकार लगभग सभी देश या तो इसका और प्रसार रोकने या अतिरिक्त रोगियों की संख्या बहुत कम रखने में सफल रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन हर वर्ष 200 से 250 बीमारियों के फैलने की जाँच करता है। हर वर्ष औसतन 5 से 15 बीमारियों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता पड़ती है।

24. सबके टीकाकरण के लिए सघन प्रयास करना

रोगरोधी टीके लगाकर पिछले दो दशकों में 2 करोड़ से अधिक लोगों की जान बचाई गई है। युनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों के फलस्वरूप टीके लगाकर रोकी जा सकने वाली छह प्रमुख बीमारियों–पोलियो, टिटेनस, खसरा, काली खाँसी, गलघोंटू और टीबी–के लिए टीकाकरण दर 1970 के दशक के शुरू में 5 प्रतिशत के स्तर से बढ़ते–बढ़ते आज लगभग 76 प्रतिशत हो गई है। खसरा से होने वाली मौतों का अनुपात 1999 की तुलना में 2005 में करीब 50 प्रतिशत कम हो गया। टिटेनस से बचाव के टीकों ने हजारों माताओं और नवजात शिशुओं की जान बचाई है। 104 विकासशील देशों ने इस बीमारी का पूरी तरह सफाया कर दिया है।

25. बाल मृत्यु दर में कमी करना

1960 के दशक के आरंभ में हर 5 में से लगभग 1 बच्चा 5 वर्ष की आयु से पहले ही दम तोड़ देता था। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने मौखिम पुनर्जलीकरण चिकित्सा, जल और स्वच्छता तथा स्वास्थ्य और पोषण के जो अन्य उपाय अपनाए, उनके जरिए विकासशील देशों में बाल मृत्यु दरें 2002 तक 12 में 1 से भी कम रह गईं। इस सिलसिले में लक्ष्य 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के 1990 के स्तर में 2015 तक दो–तिहाई कमी लाना है।

26. कारोबार के लिए आधार तैयार करना

संयुक्त राष्ट्र कारोबार के लिए भी एक अच्छा मंच है। इसने सांख्यिकी, व्यापार कानून, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, बौद्धिक संपदा, विमानन, जहाजरानी और दूरसंचार जैसे विविध क्षेत्रों में सर्वस्वीकृत तकनीकी मानक तय करके और आर्थिक गतिविधि में सहायता करके तथा लेन–देन की लागत कम करके विश्व अर्थव्यवस्था के लिए कोमल बुनियादी ढाँचा प्रदान किया है। इसने राजनीतिक स्थायित्व और सुशासन को बढ़ावा देकर, भ्रष्टाचार से संघर्ष करके और ठोस आर्थिक नीतियों तथा कारोबार के लिए उपयुक्त कानूनों के लिए आग्रह करके विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निवेश का आधार तैयार किया है।

27. विकासशील देशों में उद्योगों को समर्थन देना

संयुक्त राष्ट्र ने यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (यूनिडो) के प्रयासों के जरिए नॉर्थ–साउथ व साउथ–साउथ के आपसी औद्योगिक सहयोग के लिए मैचमेकर की भूमिका निभाई है। उसने उद्यमशीलता, निवेश, टैक्नॉलॉजी हस्तांतरण तथा कम लागत में स्थाई औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है। उसने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को आसानी से सँभालने और गरीबी को व्यवस्थित ढंग से कम करने में देशों की मदद की है।

28. आपदा पीड़ितों की मदद करना

जब भी प्राकृतिक आपदाएँ और जटिल आपात स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो संयुक्त राष्ट्र पीड़ितों के लिए सहायता जुटाता है और उसमें तालमेल रखता है। रेडक्रॉस/रेड क्रिसेंट तथा प्रमुख ऐड संगठनों और दानदाताओं के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र की संचालन एजेंसियाँ बेहद ज़रूरी मानवीय सहायता उपलब्ध कराती हैं। संयुक्त राष्ट्र की अपील पर आपात सहायता के लिए प्रतिवर्ष 2 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम जमा होती है।

29. प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव कम करना

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लयूएमओ) ने लाखों लोगों को प्राकृतिक और इंसान की पैदा की हुई आपदाओं के विनाशकारी प्रभावों से बचाया है। इसकी पहले से चेतावनी देने की प्रणाली में सतह पर मौजूद हजारों मॉनिटर और उपग्रह शामिल हैं। इस प्रणाली की मदद से मौसम से जुड़ी आपदाओं का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाना मुमकिन है। इसमें तेल और रसायन फैलने और परमाणु सामग्री के रिसाव के बारे में जानकारी प्रदान की है और लंबे समय के सूखे का पूर्वानुमान लगाया है। इसके कारण सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सहायता का कारगर वितरण भी हो सका है।

30. त्सुनामी राहत प्रदान करना

26 दिसंबर, 2004 को हिंद महासागर में त्सुनामी आने के 24 घंटे के भीतर संयुक्त राष्ट्र के आपदा आंकलन और समन्वय दल सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में भेज दिए गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने आगे बढ़ कर जीवित बचे लोगों की मदद की। 17 लाख से अधिक लोगों में भोजन बाँटा। 11 लाख से अधिक बेघर लोगों को आवास दिया, 10 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी दिया और 12 लाख से अधिक बच्चों को खसरा के टीके लगवाए। ये सब काम राहत गतिविधियों के पहले छह महीने में हुआ। मानवीय राहत तुरंत और असरदार ढंग से प्रदान किए जाने से पहले दिन के विनाश के बाद किसी और की जान नहीं गई और न ही कोई बीमारी फैल सकी।

31. ओजोन परत का संरक्षण करना

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने पृथ्वी की ओजोन परत को हुए नुकसान को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकल के नाम से हुई संधि के परिणामस्वरूप दुनिया भर की सरकारें उन रसायनों का उपयोग खत्म कर रही हैं, जिनसे ओजोन परत का क्षय हुआ है। उनकी जगह सुरक्षित विकल्प अपनाए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप लाखों लोगों के लिए पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से त्वचा कैंसर का जोखिम कम होता जाएगा।

32. जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटना

ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (जीईएफ) विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के खतरे कम करने में मददगार परियोजनाओं के लिए धन देती है। 1991 में स्थापित जीईएफ विश्वव्यापी पर्यावरण के लिए धन का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है। ये जैव विविधता के संरक्षण, ओजोन परत के संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों की सफाई, ज़मीन के क्षय को रोकने और जहरीले ऑर्गेनिक

प्रदूषक तत्वों को समाप्त करने की परियोजनाओं को भी मदद देती है। 1991 से जीईएफ ने 5.7 अरब डॉलर का अनुमान दिया है, जिसमें गैरसरकारी संगठनों और सामुदायिक समूहों के लिए 6000 से अधिक छोटे अनुदान शामिल हैं। इस संगठन से अपने दूसरे साझीदारों से 18.8 अरब डॉलर का धन भी जुटाया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक जीईएफ की परियोजना लागू करने वाली एजेंसियाँ हैं।

33. बारूदी सुरंगें हटवाना

करीब 30 देशों में बारूदी सुरंगें हटाने की अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की अगुवाई संयुक्त राष्ट्र कर रहा है। इन देशों में अफगानिस्तान, अंगोला, बोस्निया और हर्जेगोविना, इराक, मोजाम्बिक और सूडान शामिल हैं। बारूदी सुरंगें आज भी हर वर्ष हजारों मासूमों को मार रही हैं या अपंग कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र लोगों को खतरे से बचाने, पीड़ितों को अपने पैरों पर खड़ा करने और देशों को बारूदी सुरंगों का भंडार नष्ट करने में मदद देने के लिए भी काम करता है।

34. ज़रूरतमंदों को भोजन प्रदान करना

विश्व खाद्य कार्यक्रम दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय सहायता एजेंसी है। यह हर वर्ष 80 देशों में औसतन 9 करोड़ भूखे लोगों तक भोजन पहुँचाती है। इनमें दुनिया के अधिकतर शरणार्थी और देश के भीतर विस्थापित लोग शामिल हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम की खाद्य सहायता का उद्धेश्य महिलाओं और बच्चों की विशेष ज़रूरतों को पूरा करना है, जिन पर भूख का असर सबसे अधिक होता है। स्कूल भोजन प्रोजेक्ट्स में 1.7 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चों को मुफ्त लंच या घर ले जाने के लिए भोजन दिया जाता है। हर भोजन की कीमत सिर्फ 19 अमरीकी सेंट है। एजेंसी की काम करने की क्षमता में हर तरह की टैक्नॉलॉजी शामिल है। इसमें खच्चरों और याक पर भोजन लादने से लेकर हवाई जहाज से पहुँचाने और डिलीवरी पर निगरानी के लिए सेटेलाइट नेटवर्क तक सब कुछ शामिल हैं। पिछले चार दशक में विश्व खाद्य कार्यक्रम में दुनिया के अधिकाँश सबसे गरीब देशों में करीब 1.4 अरब लोगों को 7.83 करोड़ मिट्रिक टन खाद्य सहायता दी है, जिस पर 33.5 अरब डॉलर खर्च हुए हैं।

35. भूख से लड़ाई करना

संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) भूख को खत्म करने के लिए लंबे समय के विश्वव्यापी प्रयासों में सबसे आगे है। ये विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों की मदद करता है। एफएओ तटस्थ मंच की तरह काम करता है। जहाँ सभी देश बराबरी के आधार पर मिल कर समझौते तय करते हैं और नीति पर बहस करते हैं। एफएओ विकासशील देशों को खेती, वानिकी और मछली पालन के तरीकों को सुधारने और आधुनिक बनाने तथा सबको अच्छा पोषण देने के लिए मदद देता है।

36. क्षमता से ज़्यादा मछली पकड़ने से रोकना

दुनिया के 16 प्रतिशत मछली भंडारों का सीमा से अधिक दोहन होता है। 8 प्रतिशत में भारी कमी आ चुकी है या वे कमी से उबर रहे हैं। खाद्य और कृषि संगठन समुद्री मछली के उत्पादन पर निगरानी रखता है और बहुत ज़्यादा मछली पकड़ने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए चेतावनी जारी करता है। इस समस्या से निपटने के लिए खाद्य और कृषि संगठन तथा उसके

सदस्य राष्ट्रों ने मिलकर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रेस्पॉन्सेबल फिशरिज़ तैयार किया और 1995 में उसका अनुमोदन कर दिया।

37. जहरीले रसायनों पर प्रतिबंध लगाना

स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का उद्देश्य दुनिया को कुछ सबसे खतरनाक रसायनों से छुटकारा दिलाना है। 2001 में अनुमोदित संयुक्त राष्ट्र का ये समझौता 12 खतरनाक कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों पर केंद्रित है, जो लोगों की जान ले सकते हैं, तंत्रिका तंत्र और रोगरोधी तंत्रों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, कैंसर और प्रजनन संबंधी विसंगतियाँ पैदा कर सकते हैं और बच्चे के विकास में हस्तक्षेप कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के दूसरे समझौते और कार्य योजनाएँ जैव विविधता के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने, लुप्त प्रायः प्रजातियों के संरक्षण, बढ़ते रेगिस्तान को रोकने, क्षेत्रीय सागरों की सफाई और खतरनाक कचरे को एक से दूसरे देश में ले जाने से रोकने के प्रयासों में भी मदद करते हैं।

38. उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य का संरक्षण करना

बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्य राष्ट्रों के साथ मिलकर 2000 से ज़्यादा खाने–पीने की चीज़ों के लिए मानक, 3000 से ज़्यादा फूड कंटेनर्स के लिए सुरक्षित सीमा और खाने–पीने की चीज़ों की प्रोसेसिंग, ढुलाई और भंडारण के बारे में नियम तय किए हैं। लेबलिंग और विवरण से जुड़े मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक गुमराह न हो।

39. आतंकवाद का मुकाबला करना

संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कानूनी ढाँचा तैयार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 13 विश्वव्यापी कानूनी दस्तावेज़ों पर सहमति हुई है। इनमें लोगों को बंधन बनाने, विमान अपहरण, आतंकवादी बमबारी, आतंकवादियों को धन देने और सबसे ताजा परमाण्विक आतंकवाद के खिलाफ संधियाँ शामिल हैं। जून 2005 तक 63 देश इन सभी संधियों का अनुमोदन कर चुके थे। आतंकवाद के खिलाफ एक नया व्यापक समझौता तैयार किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की काउंटर टैरेरिज़्म कमेटी ये देखती है कि विभिन्न देश 11 सितंबर को अमरीका पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद किए गए वायदों का कैसे पालन करते हैं और आतंकवाद का जवाब देने की कार्रवाई में सहयोग में तालमेल करती है। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम और संयुक्त राष्ट्र की दूसरी एजेंसियों ने आतंकवाद से लड़ने की क्षमता मज़बूत करने में 100 से अधिक देशों की मदद की है।

40. प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देना

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) स्वैच्छिक परिवार नियोजन कार्यक्रमों के जरिए हर व्यक्ति को यह निर्णय लेने का अधिकार देने के लिए प्रोत्साहन देता है कि कब और कितने बच्चों को जन्म देना है। इन प्रयासों से लोगों को जानकारी के साथ विकल्प चुनने और परिवारों, खासकर महिलाओं को अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण करने में मदद मिलती है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप विकासशील देशों में महिलाएँ कम संतानों को जन्म दे रही हैं और दुनिया में जनसंख्या वृद्धि की दर धीमी हो रही है। 1960 के दशक में जहाँ औसत महिला छह संतानों को जन्म देती थी, वहीं आज ये संख्या तीन रह गई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जब 1979 में

काम शुरू किया था तो 20 प्रतिशत से भी कम दम्पति परिवार नियोजन का साधन अपनाते थे। आज ये अनुपात करीब 61 प्रतिशत है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और उसके अनेक साझीदार प्रसव के समय दक्ष सहायक की उपस्थिति, आपात प्रसूति सेवाओं की सुलभता और विस्तारित परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सुविधा दे रहे हैं, जिससे मातृ मौतों में कमी आ रही है।

41. प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विवादों का न्यायिक समाधान करना

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय और परामर्श के रूप में अपनी राय देकर अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाने में मदद की है। इन विवादों में इलाकाई मुद्दे, राजनयिक संबंध, लोगों को बंधन बनाए जाने, शरण लेने के अधिकार और आर्थिक अधिकार शामिल हैं।

42. विश्वव्यापी व्यापार संबंध सुधारना

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) ने विकासशील देशों को व्यापार समझौते करने और अपने निर्यात के लिए तरजीह की सुविधा लेने में मदद की है। इसने अंतर्राष्ट्रीय कॉमोडिटि समझौते कराए हैं, जिससे विकासशील देशों को उचित मूल्य मिले, उनके व्यापार संबंधी बुनियादी ढाँचे की कुशलता सुधारी है और उन्हें अपने उत्पादन में विविधता लाने और विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ने के लिए अन्य प्रकार की सहायता दी है।

43. आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देना

विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनेक देशों को अपना आर्थिक प्रबंध सुधारने में मदद दी है, भुगतान संतुलन की कठिनाईयों को कम करने में मदद के लिए देशों को अस्थाई वित्तीय सहायता दी है और सरकारी वित्त अधिकारियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की है।

44. विश्व के महासागरों में स्थिरता और व्यवस्था को बढ़ावा देना

संयुक्त राष्ट्र ने एक समझौते के जरिए महासागर के इस्तेमाल के नियम तय करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व किया है। 1982 के यूएन कनवेन्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी ने पहली बार महासागरों पर और उनके भीतर सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए सार्वभौमिक कानूनी ढाँचा प्रदान किया और इसे लगभग सभी देशों ने स्वीकार किया। इस समझौते में जहाजरानी क्षेत्रों की स्थापना, राष्ट्रीय जहाजरानी अधिकार क्षेत्र के निर्धारण, गहरे समुद्र में नौवहन, तटवर्ती और अन्य राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों, समुद्री पर्यावरण के संरक्षण और संवर्द्धन, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान के संचालन में सहयोग और समुद्री जीवों के संरक्षण और टिकाऊ इस्तेमाल के नियम तय किए गए हैं।

45. हवाई और समुद्री यात्रा में सुधार करना

संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने समुद्री और हवाई यात्रा के लिए सुरक्षा मानक निर्धारित किए हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने विमान यात्रा को यातायात का सबसे सुरक्षित साधन बनाने में योगदान किया है। 1947 में जब 90 लाख लोग विमान यात्रा करते थे तो विमान दुर्घटनाओं में 590 मौतें हुई थीं, जबकि 2004 में 3.3 अरब विमान यात्रियों में से सिर्फ 420 मौतें हुईं। इसी तरह इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने समुद्री यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने में

मदद की है। आँकड़े बताते हैं कि समुद्री यातायात अब सुरक्षित होता जा रहा है और पर्यावरण संरक्षण की अपनी साख भी सुधार रहा है। जहाजों की क्षति कम हो रही है, मरने वालों की संख्या भी घट रही है, प्रदूषण की घटनाएँ कम हो रही हैं, कुल मिलाकर तेल से होने वाला प्रदूषण घट रहा है और वायु प्रदूषण तथा सीवेज़ प्रदूषण की समस्या से निपटा जा रहा है, जबकि इस दौरान समुद्र के रास्ते माल ढुलाई बढ़ती जा रही है।

46. नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से निपटना

यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने नशीले पदार्थों के नियंत्रण से जुड़े तीन संयुक्त राष्ट्र समझौतों के आधार पर अवैध नशीले पदार्थों की सप्लाई और माँग कम करने तथा नशीले पदार्थों के सेवन के कारण होने वाले सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों से निपटने के लिए काम किया है। इनमें नशीले पदार्थों के सेवन के कारण एचआईवी/एड्स फैलने की समस्या भी शामिल है। यह संगठन विधि प्रवर्तन एजेंसियों को सहायता देता है, समुदायों को नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने और नशा करने वालों के उपचार के कार्यक्रमों में सहायता देता है और ऐसे अभिनव प्रयास करता है, जिनसे गरीब किसानों को नशीले पौधों की अवैध खेती पर निर्भर रहने के बजाय आजीविका के कानूनी और स्थाई साधन अपनाने में मदद मिलती है।

47. अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटना

यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम विभिन्न देशों और अन्य संगठनों के साथ मिलकर एक से दूसरे देश में होने वाले संगठित अपराधों का मुकाबला करने के प्रयास करता है। यह संगठन भ्रष्टाचार, काले धन के इस्तेमाल, नशीले पदार्थों की तस्करी, व्यक्तियों की तस्करी और प्रवासियों को चोरी–छिपे एक से दूसरी जगह ले जाने जैसे अपराधों से लड़ने के लिए और फौजदारी न्यायिक प्रणालियों को मज़बूत करने के लिए कानूनी और तकनीकी सहायता देता है। इसने संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ तैयार करवाने और अपनाने में मदद देने में मुख्य भूमिका निभाई है।

48. सम्मानजनक श्रम को बढ़ावा देना

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रमिकों के लिए मानक बुनियादी सिद्धांत और अधिकारों को अपनाए जाने में उल्लेखनीय योगदान किया है। इनमें संगठन बनाने की आजादी, सामुहिक रूप से सौदेबाजी करने का अधिकार, हर तरह की जबरन मजदूरी का उन्मूलन, बाल मजदूरी का उन्मूलन और कार्यस्थल पर भेदभाव की समाप्ति शामिल हैं। रोजगार संवर्द्धन, सबके लिए सामाजिक संरक्षण और नियोक्ताओं तथा श्रमिक संगठनों और सरकारों के बीच सशक्त सामाजिक संवाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मुख्य गतिविधियाँ हैं।

49. विकासशील देशों में साक्षरता और शिक्षा में सुधार करना

आज विकासशील देशों में 76 प्रतिशत वयस्क पढ़–लिख सकते हैं, जबकि 84 प्रतिशत बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं। अब लक्ष्य 2015 तक यह सुनिश्चित करने का है कि सभी बच्चे प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने लगे। महिलाओं की शिक्षा और उन्नति को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों ने विकासशील देशों में महिला साक्षरता दर 1970 में 36 प्रतिशत के स्तर से उठाकर 2000 में 70 प्रतिशत तक पहुँचाने में मदद की है। अब लक्ष्य 2015 तक यह सुनिश्चित करने का है कि सभी लड़कियाँ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने लगें।

50. बच्चों के समर्थन में विश्वव्यापी संकल्प जुटाना

अल सल्वाडोर से लेबनान और सूडान से पूर्व यूगोस्लाविया तक युनिसेफ ने सशस्त्र संघर्षों में फँसे बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी रोगरोधी टीके और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए शांति दिवसों की स्थापना और शांति के गलियारे खुलवाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। बाल अधिकार समझौता 192 देशों में कानून का रूप ले चुका है। 2002 में बच्चों के बारे में संयुक्त राष्ट्र के विशेष अधिवेशन के बाद 190 देशों की सरकारों ने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ने, शोषण, दुरुपयोग और हिंसा से बचाने और एचआईवी/एड्स से संघर्ष के मामले में समयबद्ध लक्ष्य अपनाए हैं।

51. ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वास्तुकला और प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण

यूनेस्को ने प्राचीन स्मारकों, और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण के लिए 137 देशों को सहायता दी है और सांस्कृतिक सम्पत्ति तथा अतिविशिष्ट प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते कराए हैं।

52. शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान–प्रदान में सहायता देना

संयुक्त राष्ट्र ने यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जरिए विद्वानों और वैज्ञानिकों के बीच सहयोग, संस्थाओं को आपस में जोड़ने और अल्पसंख्यकों तथा मूल निवासियों सहित सभी व्यक्तियों की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया है।

53. बौद्धिक संपदा का संरक्षण

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन दुनिया भर में बौद्धिक संपदा के रचनाकारों और स्वामियों के अधिकारों को संरक्षण देता है और यह सुनिश्चित करता है कि अविष्कारकों और लेखकों की प्रतिभा को मान्यता और सम्मान दिया जाए। बौद्धिक अधिकारों के संरक्षण से मानव की सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है, विज्ञान और टैक्नॉलॉजी की उन्नति होती है और साहित्य तथा कलाओं का संवर्द्धन होता है। बौद्धिक संपदा के उत्पादों के क्रय–विक्रय के लिए स्थाई माहौल देने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी गति मिलती है।

54. प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देना

यूनेस्को ने लोगों को सेंसरशिप से मुक्त और विविध सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी जानकारी पाने का अधिकार दिलाने के लिए मीडिया के विकास और मज़बूती में मदद की है तथा स्वतंत्र समाचार पत्रों और प्रसारकों को समर्थन दिया है। यूनेस्को प्रेस की स्वतंत्रता की निगरानी भी करता है और पत्रकारों की हत्या तथा उन्हें हिरासत में रखे जाने जैसे गंभीर उल्लंघनों की खुलेआम निंदा भी करता है।

55. झुग्गी–झोपड़ियों की जगह स्वच्छ मानव बस्तियाँ बसाना

अब दुनिया की आधी आबादी शहरों में रहती है। विभिन्न देशों का अधिकतर उत्पादन और खपत शहरों में केंद्रित है। ऐसी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ शहरों में होती हैं, जो लोगों को दौलत और अवसर प्रदान करती है, लेकिन शहरों में ही गरीबी, अपराध, प्रदूषण और बीमारी पनपती

हैं। अनेक शहरों में, विशेषकर विकासशील देशों में आधी से अधिक आबादी झुग्गी–झोपड़ियों में रहती है और उसके लिए आवास, पानी तथा स्वच्छता की सुविधा मामूली या न के बराबर होती है। यूएन–हैबीटाट दुनिया भर के 61 देशों में 150 से अधिक तकनीकी कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ कस्बों और शहरों के लिए अभिनव समाधान तलाशने में सरकारों, स्थानीय अधिकारियों और गैरसरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इनमें शहरी गरीबों के लिए निवासकाल की सुरक्षा प्रदान करना शामिल है, जिससे गरीबों के लिए आवास और बुनियादी सेवाओं में निवेश को बढ़ावा मिलता है।

56. विश्वव्यापी डाक सेवाओं में सुधार करना

युनिवर्सल पोस्टल यूनियन दुनिया भर की डाक सेवाओं में सहयोग का बुनियादी मंच है। यह नवीनतम उत्पादों और सेवाओं के वास्तविक विश्वव्यापी नेटवर्क की स्थापना में मदद करता है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डाक के आदान–प्रदान के नियम बनाता है और डाक की मात्रा बढ़ाने तथा ग्राहकों के लिए सेवाओं का स्तर सुधारने के बारे में सिफारिशें करता है। युनिवर्सल पोस्टल यूनियन के 190 सदस्य देशों की डाक सेवाएँ दुनिया में व्यक्तियों के जरिए सबसे बड़े वितरण नेटवर्क की प्रतीक हैं, जो हर वर्ष डाक से 430 अरब वस्तुएँ यहाँ से वहाँ पहुँचाती है।

57. कृषि की उन्नत तकनीक अपनाना और लागत कम कराना

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की सहायता के परिणामस्वरूप फसलों की पैदावार बढ़ाने, नीतियों में सुधार कराने और स्थानीय भागीदारी बढ़ाने में मदद मिली है। एशिया के धान किसानों ने कीटनाशक की लागत में एक वर्ष में 5 करोड़ डॉलर से अधिक की सीधी बचत की है, जबकि उनकी सरकारों ने कीटनाशकों पर सब्सिडी में कमी के रूप में एक वर्ष में 15 करोड़ डॉलर से अधिक की बचत की है। कीटनाशकों के उपयोग में इस कमी से पर्यावरण और स्वास्थ्य को हुए लाभ के रूप में एक वर्ष में एक करोड़ डॉलर से अधिक की बचत का अनुमान है।

58. अक्षमताओं के शिकार व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना

संयुक्त राष्ट्र हमेशा अक्षमताओं के शिकार व्यक्तियों को पूरी बराबरी दिलाने की लड़ाई में सबसे आगे रहा है। उसने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनकी भागीदारी की हिमायत की है। संयुक्त राष्ट्र ने साबित किया है कि अक्षमताओं के शिकार व्यक्ति भी समाज के लिए उपयोगी होते हैं। उनके अधिकारों और गरिमा को विश्व भर में सम्मान दिलाने के लिए पहले समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

59. विश्वव्यापी दूरसंचार सेवाओं को सुधारना

इंटरनेशनल टेली कम्यूनिकेशन यूनियन विश्वव्यापी दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं के विकास और उनके संचालन में तालमेल के लिए सरकारों और उद्योगों को एकजुट करता है। इसने रेडियो स्पैक्ट्रम के साझा उपयोग में तालमेल किया है, उपग्रहों की कक्षाएँ निर्धारित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है, विकासशील देशों में दूरसंचार सेवाओं का बुनियादी ढाँचा सुधारने में मदद की है और ऐसे विश्वव्यापी मानक तय कराए हैं, जिनसे विविध दूरसंचार प्रणालियों में परस्पर मज़बूत संपर्क हुआ है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट से लेकर नवीनतम वायरलैस टैक्नॉलॉजी, हवाई और समुद्री नौवहन से लेकर रेडियो एस्ट्रॉनॉमी, फोन और फैक्स सेवाओं से लेकर टेलीविजन प्रसारण और

अगली पीढ़ी के नेटवर्क्स तक इंटरनेशनल टेली कम्यूनिकेशन यूनियन विश्वव्यापी संचार सेवाओं को जोड़ने में लगातार मदद कर रही है। इसकी मदद से दूरसंचार क्षेत्र एक खरब डॉलर का विश्वव्यापी उद्योग बन गया है।

60. मूल निवासियों की दशा सुधारना

संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के 70 देशों के 37 करोड़ मूल निवासियों के साथ हो रहे अन्याय को उजागर किया है। यह आबादी दुनिया में सबसे वंचित और जोखिम से घिरे समूहों में शामिल है। सन् 2000 में स्थापित 16 सदस्यों का परमानेंट फोरम ऑन इन्डीजीनियस इश्यूज़ दुनिया भर में विकास, संस्कृति, मानव अधिकार, पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के नजरिए से मूल निवासियों की दशा सुधारने के लिए काम कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र जन सूचना विभाग द्वारा तैयार, 55146–डीपीआई/2045–दिसंबर, 2005